संख्याः 1618/9–आ–3–97–38(विविध)/97

प्रेषक, **श्री अतुल कुमार गुप्ता,**
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में, **1. उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण
उत्तर प्रदेश।

2. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. आयुक्त,
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 10मई, 1997

विषयः नगरों में घने बसे क्षेत्रों में भवन निर्माण को नियंत्रित/प्रतिबन्धित किया जाना।

महोदय,

नगरों में सघन आबादी के कुछ ऐसे क्षेत्र विकसित हो रहे हैं, जहां पर यातायात व अवस्थापना के अन्य प्रतिबन्धों के कारण और अधिक निर्माण/विकास की अनुमति देना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं है। शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे क्षेत्रों के चिन्हीकरण के लिए महायोजना के अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्था की जाये। अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि नगर के जिन क्षेत्रों में यातायात व अवस्थापना सम्बन्धी अन्य प्रतिबन्धों के कारण और अधिक निर्माण/विकास की अनुमति देना उचित नहीं है, उन्हें चिन्हीकृत कर लिया जाये तथा ऐसे क्षेत्रों में निर्माण/विकास कार्य को महायोजना में प्रतिबन्धित करने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराये जायें। कृपया मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के सहयोग से इन क्षेत्रों को चिन्हित करने की कार्यवाही तत्काल पूर्ण कर ली जाये और वहां पर निर्माण/विकास कार्यों को प्रतिबन्धित करवा दिया जाये ताकि यातायात/अवस्थापना सुविधाओं की समस्या जटिल न होने पाये।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

पृष्ठ संख्याः 1618(1)/9–आ–3–97 तददिनांक

उपरोक्त की एक प्रति मुख्य नगर एसवं ग्राम नियोजक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

दिवाकर त्रिपाठी
विशेष सचिव